न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 144/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/180

लिछमणराम पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी हाल कृष्णनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट
राजकीय अभिभाषक — अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 24.03.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित कृषि भूमि मौजारोही कृष्णनगर के खसरा नंबर 257/3 की 13 बीघा भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट ने खसरा नंबर 257 तादादी 66.05 बीघा के मूल खातेदार समद कंवर बेवा रूपसिंह जाति राजपूत से उक्त अपीलाधीन 13 बीघा भूमि क्रय की। अपीलाधीन भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ ने हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर सम्पूर्ण खाते को एकल करने का आदेश दिनांक 04.02.2021 पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04.02.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में दर्ज हैं। उक्त अपीलाधीन भूमि अपीलांट ने खसरा नंबर 275 तादादी 66.05 बीघा की मूल खातेदार समद कंवर बेवा रूपसिंह जाति राजपूत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1987 से आसा–पासा विशिष्ट की भूमि क्रय की तथा मौके पर उसी अनुसार काबिज हुआ। जहां पर आज दिनांक तक काबिज होकर शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करता आ रहा हैं। उक्त क्रय के आधार पर नामांतरण अपीलांट के नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नं. 257/3 की 13 बीघा भूमि दर्ज हुई। अपीलांट अपनी उक्त अपीलाधीन भूमि पर खरीद के दिन से 35 वर्षो से काबिज है और काफी धन एवं मेहनत लगाकर अपनी भूमि को उपजाऊ बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने का मूल आधार पटवारी रिपोर्ट को दिया है, जिसमें अंकित किया गया है कि **"खसरा नं. 257 में रकबा 66.05 बीघा बारानी में विभिन्न खातों के विभाजित खसरें अनुसार मौके पर सही काबिज नहीं होने के कारण DILRMP के अन्तर्गत उक्त मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम करना संभव नहीं हो पाने के कारण उक्त खाते मूल खसरा में एकल खाता (संयुक्त खाता) किया जाकर DILRMP के तहत रिकॉर्ड ऑनलाईन किया जावे"** जबकि उक्त खसरा के सभी खातेदारान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रेतागण है तथा सभी विक्रय पत्रों में खसरें का विशिष्ट भू–भाग विक्रय किया गया है व उसी के अनुसार सभी खातेदार काबिज है। पटवारी हल्का ने अपने दायित्वों की पूर्ति के तहत खसरें की तरमीम किये बिना आनन–फानन में उक्त रिपोर्ट की हैं। सभी खातेदारान की विक्रय पत्र में दर्ज आसे–पासे के अनुसार तरमीम कर ऑनलाईन कार्यक्रम को सम्पन्न किया जा सकता था। इस प्रकार आदेश जैर अपील पूर्णतयाः मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से पारित आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.02.2021 निरस्त किया जावे।

24.3 3– विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादगत भूमि से संबंधित खसरें में विभिन्न खातों के विभाजित खसरें अनुसार मौके पर सही काबिज नहीं होने से DILRMP कार्य को पूर्ण करने के तहत मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम करना संभव नहीं हो पाने के कारण उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो बाद ऑनलाईन विभाजन

के जरिये तरमीम करवाई जा सकेगी। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश DILRMP कार्यक्रम के अंतर्गत पारित हैं, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2021 पारित कर DILRMP कार्य को पूर्ण करने के तहत मूल खसरें में सभी खातों के खसरों की तरमीम न हो पाने के कारण ऑनलाइन स्तर पर एकल करने की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो बाद ऑनलाइन विभाजन के जरिये तरमीम करवाई जा सकेगी। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश DILRMP के अंतर्गत पारित हैं, जो न्यायोचित है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.02.2021 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर